समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Monday, 21 September 2026

अनधिकृत रूप से मुख्यालय छोड़ने वाले पदाधिकारियों पर होगी सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई — डीएम ने जारी किया निर्देश

RANJEET KUMAR

Published on 15 Oct 2025

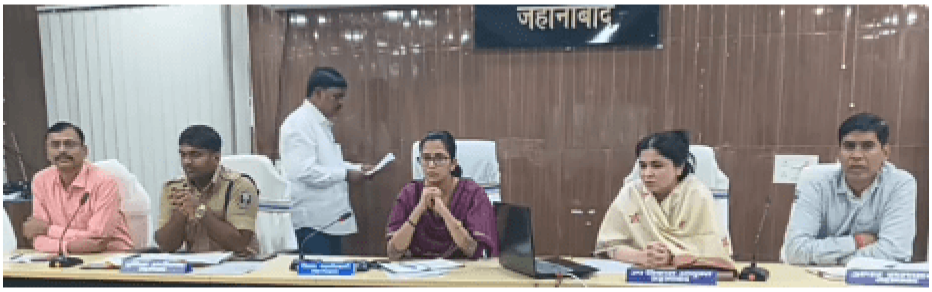

[illegible]

बिहार विधानसभा चुनाव, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। जहानाबाद जिला प्रशासन ने सभी सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से **रद्द** कर दी हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी **बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेगा**, अन्यथा उसके खिलाफ **सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई** की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य में लागू **आदर्श आचार संहिता** के बीच प्रशासनिक कार्यों और कानून-व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसी कारण सभी अधिकारी अपने मुख्यालय में ही उपस्थित रहें और किसी भी स्थिति में बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय से बाहर न जाएं।

उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों — दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ — के दौरान **शांति, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना** बेहद आवश्यक है। इन अवसरों पर जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी अधिकारी को अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करना होगा।

यह निर्देश जिले के सभी स्तरों — **जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों व कर्मचारियों** पर लागू होगा। यहां तक कि अवकाश के दिनों में भी सभी अधिकारी मुख्यालय में बने रहेंगे और आपात स्थिति में भी प्रशासन के संपर्क में रहना अनिवार्य होगा।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी पदाधिकारी **किसी विशेष या आपात स्थिति मे** यंदि मुख्यालय से बाहर जाना चाहता है, तो उसे **पहले जिलाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से अनुमति** लेनी होगी।

यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी **अनधिकृत रूप से मुख्यालय छोड़ता हुआ पाया गया**, तो उसके विरुद्ध **विभागीय और अनुशासनात्मक कार्रवाई** की जाएगी। इसमें **सस्पेशंन, वेतन कटौती या कारण बताओ नोटिस** जैसी कार्यवाहियां भी शामिल हो सकती हैं।

जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि त्योहारों के दौरान नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए जिला नियंत्रण कक्ष सक्रिय रहेगा। सभी अधिकारी किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए बाध्य रहेंगे।

प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह या भ्रम फैलाने से बचें और किसी भी समस्या या आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/RANJEET KUMAR, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.